भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2113
(15 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा में जबरदस्त लीकेज

2113. श्री सुब्रत पाठक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में ''जबरदस्त लीकेज'' है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत जारी और उपयोग की गई;

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी नौकरियां प्रदान की गई और अगले तीन वर्षों के दौरान कितनी नौकरियां प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के नाम दर्ज कराने के लिए बिचौलिए पैसे ले रहे हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे बिचौलियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार वास्तविक लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने और प्रणाली में बिचौलियों की भूमिका को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली को मजबूत करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी, नहीं।

(ख): महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में (09.03.2022 की स्थिति के अनुसार) 87,648.39 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 99,053.50 करोड़ रुपए का व्यय (राज्य अंश सहित) किया गया है।

(ग): महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गाँधी नरेगा) मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है , जिसमें अकुशल श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में (09.03.2022 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत 7.86 करोड़ परिवारों को रोजगार का प्रस्ताव किया गया है और कार्य के 336.75 करोड़ श्रमदिवसों का प्रावधान अब तक किया गया है।

प्रत्येक राज्य प्रत्येक वर्ष ग्राम सभाओं से शुरू होकर जिला परिषद में संपन्न होने वाली परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से श्रम बजट अनुमान तैयार करता है। इन अनुमानों पर और विचार-विमर्श करके इन्हें स्वीकृत किया जाता है। नामांकित परिवारों द्वारा रोजगार की मांग के आधार पर इन अनुमानों में संशोधन किए जाते हैं। इसीलिए अगले तीन वर्षों के अनुमान उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।

(घ): महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गाँधी नरेगा) के अंतर्गत केंद्रीकृत लोक शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल पर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

(च): महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली अपनाई गई है। सरकार ने राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस)/इलैक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) के माध्यम से महात्मा गाँधी नरेगा योजना कामगारों के बैंक/डाकघर खातों में मजदूरी का भुगतान शुरू कर दिया है।

एनईएफएमएस को 27 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी के समस्त डीबीटी भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से किए जाते हैं। अब तक 99.69% महात्मा गाँधी नरेगा योजना कामगार अपनी मजदूरी सीधे अपने खातों में प्राप्त कर रहे हैं। यह पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया गया है कि वे शत-प्रतिशत नामांकित जॉब कार्ड धारकों के आधार नंबर दर्ज करें। फिलहाल , प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में 11.99 करोड़ आधार नंबर दर्ज किए गए हैं, जो कि कुल सक्रिय कामगारों (15.44 करोड़) का 77.68% हैं।

*****